

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी-

सुखराम खोखर

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

68/2019/प्रा.पत्र/2019

19.11.2019

24.01.2020

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

- 1-श्री शंकर लाल गोयल पुत्र स्व. श्री रामेश्वर प्रसाद गोयल एफ.बी.ओ. मैसर्स भगवती ट्रेडर्स सदर बाजार देवली जिला टोंक राज0 निवासी सदर बाजार देवली जिला टोंक राज0
- 2- मैसर्स भगवती ट्रेडर्स सदर बाजार देवली जिला टोंक राज0

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित-

- 1-प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
- 2-अप्रार्थीगण उपस्थित

:-निर्णय:-

दिनांक 24.01.2020

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.07.2019 को समय 4.40 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स भगवती ट्रेडर्स सदर बाजार देवली जिला टोंक राज0 पर पहुंचा। विक्रेता की हैसियत से शंकर लाल गोयल पुत्र स्व. श्री रामेश्वर प्रसाद गोयल एफ.बी.ओ. मैसर्स भगवती ट्रेडर्स सदर बाजार देवली जिला टोंक राज0 निवासी सदर बाजार देवली जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में प्रोसेस्ड सुपारी मैरी पॉली पैक (Processed Supari Betul Nut Marie Poly Pack) जिसके बैच नं. एम. 05 व पैकिंग दिनांक मई 2019 अंकित थी, रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री शंकर लाल गोयल को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस

*Dev*  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक

1011



पर विक्रेता शंकर लाल गोयल एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान में 120-120 ग्राम के 100 पैकेट प्रोसेस्ड सुपारी मैरी पॉली पैक (Processed Supari Betul Nut Marie Poly Pack) रखे हुये में से 120-120 ग्राम के 16 मूल पैक पैकेट वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये में से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री शंकर लाल गोयल को ₹0 800/-अक्षर आठ सौ रुपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा प्रोसेस्ड सुपारी मैरी पॉली पैक (Processed Supari Betul Nut Marie Poly Pack) 120-120 ग्राम के 4-4 पैकेटों को बराबर-बराबर (एक भाग 480 ग्राम) अलग-अलग चार साफ व सूखे कागज के गत्ते के डिब्बों में अलग-अलग ज्यों का त्यों साफ प्रिन्टेड रखकर डिब्बों के ढक्कन को एयर टाइट बंद किया व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबल पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I-2221 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारों नमूना भागों को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-2221 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ.शंकर लाल गोयल के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे। चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं० 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं० 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टॉक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./19/2282 दिनांक 12.09.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं० एल०एस०/1672/एक्ट/2019/1503 दिनांक 04.09.2019 अनुसार शंकर लाल गोयल से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया प्रोसेस्ड सुपारी मैरी पॉली पैक (Processed Supari Betul Nut Marie Poly Pack) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3 (1)(zf) (c) (i) के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-branded) व कॉन्ट्रावेन (Contravene) का होना पाया गया।

*Handwritten signature*  
अतिरिक्त जिला मंत्रिस्त  
टॉक




अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा मिथ्याछाप (Mis-branded) व कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का प्रोसेस्ड सुपारी मैरी पॉली पैक (Processed Supari Betul Nut Marie Poly Pack) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की उप धारा 26 की उप धारा 2(ii) (iv) & (v) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 व 58 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस प्रोसेस्ड सुपारी मैरी पॉली पैक (Processed Supari Betul Nut Marie Poly Pack) का विक्रय कर रहा था वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) व कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया प्रोसेस्ड सुपारी मैरी पॉली पैक (Processed Supari Betul Nut Marie Poly Pack) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) व कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)(iv) & (v) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 व 58 अप्रार्थी श्री शंकर लाल गोयल पुत्र स्व. श्री रामेश्वर प्रसाद गोयल एफ.बी.ओ. मैसर्स भगवती ट्रेडर्स सदर बाजार देवली जिला टोंक राज0 निवासी सदर बाजार देवली जिला टोंक राज0 पर शास्ति 5,000 (अक्षरे पांच हजार रु0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 24.01.2020 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2020 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



  
(सुखराम खोखर)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
आतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक  
टांक-राज0

